Conn-8

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक/जोविविनिलि/अअ(सर्वे एवं जांच)/प.1201 /प्रे. 202 जयपुर,दिनांक 13-11-2000

आदेश

विषय:- कुओं का जल निम्न स्तर पर चले जाने के कारण अस्थाई तौर कृषि कनेक्शन कटवाने के क्रम में ।

कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश के आदेश क्रमांक राराविमं/उमुअ/ग्रवि/अनु.9/प्रे. 51 जयपुर दिनांक 22.6.2000 के पैरा 21(अ) में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन कर अकाल की स्थिति एवं कुओं का जल निम्न स्तर पर चले जाने के कारण 6 माह की अवधि को 9 माह तक बढ़ाया जाता है । यह सुविधा 31.1.2001 तक विद्युत विच्छेद कराने वाले उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध रहेगी । अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे ।

इसके लिये उपभोक्ता को अस्थाई तौर पर कनेक्शन कटवाने का प्रार्थना पत्र कुएं के सूखने का प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित पटवारी ,सरपंच एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित हो, के साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में देना होगा । इस व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर कृषि कनेक्शन कटवाने की स्वीकृत सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी की जावेगी ।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

13/11

(एच.डी.चारण)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

1. ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता(पवस) जोन ----- जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड----
4. अधीक्षण अभियन्ता (पवस) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड-------
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी(   ) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड--------
6. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के सूचनार्थ ।

13/11

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

C:\HINDI\RE.doc